भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 872
दिनांक 29 नवंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत पैनलबद्ध अस्पताल

872. श्री बैन्नी बेहनन:
श्री विजय कुमार हाँसदाक:
श्री हैबी ईडन:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत पैनलबद्ध किए गए/पैनल से हटाए गए सार्वजनिक/निजी अस्पतालों का राज्य/वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि निजी अस्पताल निधि संवितरण में विलंब के कारण एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत उपचार करने से मना कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत पैनलबद्ध अस्पतालों से संबंधित शिकायतों, विशेषकर पात्र लाभार्थियों को सेवा देने से मना करने अथवा लाभ न दिए जाने से संबंधित शिकायतों की निगरानी करने और उनका समाधान करने के लिए क्या उपाय/कार्यान्वित किए गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत अस्पतालों की संख्या बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत पैनलबद्ध और पैनल से हटाए गए सार्वजनिक और निजी अस्पतालों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार विवरण क्रमशः **अनुलग्नक-I** और **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

(ख) और (ग): एबी-पीएमजेएवाई के तहत, दावों का निपटान राज्य सरकार के अंतर्गत संबंधित राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों द्वारा किया जाता है। दावों का समय पर निपटान उन प्रमुख मापदंडों में से एक है जिसके आधार पर

योजना के निष्पादन को मापा जाता है। योजना के तहत दावों के निपटान की स्थिति की लगातार निगरानी की जाती है और दावों के संबंध में प्रगति का जायजा लेने के लिए नियमित रूप से समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

इसके अलावा, योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करते समय लाभार्थियों के सामने आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तीन-स्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली बनाई गई है। लाभार्थी वेब-आधारित पोर्टल केंद्रीयकृत शिकायत निवारण प्रबंधन प्रणाली (सीजीआरएमएस), केंद्रीय और राज्य कॉल सेंटर, ईमेल, एसएचए को पत्र आदि सहित विभिन्न माध्यमों का उपयोग करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत की प्रकृति के आधार पर, योजना के तहत उपचार का लाभ उठाने में लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने और शिकायतों का समाधान करने सहित आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

(घ): अस्पतालों की भागीदारी में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. एनएचए ने प्रक्रियाओं की संख्या में वृद्धि (1961) के साथ एक संशोधित स्वास्थ्य लाभ पैकेज जारी किया है। इसके अलावा, 350 पैकेजों के लिए दरों में वृद्धि की गई है और नए पैकेज जोड़े गए हैं।
ii. दावा निपटान की उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि दावे का निपटान निर्धारित समय के भीतर हो।
iii. अस्पतालों की आभासी और भौतिक क्षमता निर्माण किया जाता है।
iv. वास्तविक समय के आधार पर उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए एक अस्पताल-विशिष्ट कॉल सेंटर (14413) स्थापित किया गया है।
v. लाभार्थियों और अस्पतालों के सामने आने वाली समस्याओं को समझने के लिए नियमित रूप से सूचीबद्ध अस्पतालों का दौरा करने के लिए जिला कार्यान्वयन इकाईयाँ (डीआईयू) स्थापित की गई हैं।

अनुलग्नक-I

योजना के अंतर्गत पैनलबद्ध सार्वजनिक और निजी अस्पतालों की संख्या का राज्य/संघ राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2018-2019		2019-2020		2020-2021		2021-2022		2022-2023		2023-2024		2024-2025*	
	सार्वजनिक	निजी	सार्वजनिक	निजी	सार्वजनिक	निजी	सार्वजनिक	निजी	सार्वजनिक	निजी	सार्वजनिक	निजी	सार्वजनिक	निजी
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
आंध्र प्रदेश	45	84	671	570	1	60	590	99	44	88	33	87	30	65
अरुणाचल प्रदेश	2	0	2	0	14	1	17	0	9	0	2	1	0	2
असम	35	85	119	2	5	11	0	11	2	28	16	26	6	7
बिहार	558	61	22	98	1	31	2	34	1	69	1	80	2	79
चंडीगढ़	6	6	1	6	0	3	0	4	0	1	0	2	0	2
छत्तीसगढ़	2	0	591	0	361	300	28	94	28	122	22	19	6	50
दादरा और नागर हवेली और दमन और द्वीव	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	5	0	0
गोवा	9	0	2	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0
गुजरात	1450	312	25	53	69	30	13	135	97	158	80	134	18	101
हरियाणा	144	207	11	110	6	37	2	57	0	126	338	121	1	79
हिमाचल प्रदेश	133	34	2	9	0	12	0	24	2	24	1	30	0	11
जम्मू और कश्मीर	111	17	1	14	0	3	1	32	2	30	3	37	4	0
झारखंड	220	168	13	31	0	34	4	34	1	24	1	22	1	8
कर्नाटक	395	206	2420	84	26	47	16	24	49	87	58	103	7	30
केरल	147	80	39	63	4	109	7	72	1	43	3	1	1	18
लद्दाख	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
लक्षद्वीप	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	146	56	259	35	30	129	25	116	21	91	9	87	7	49
महाराष्ट्र	82	310	92	38	19	206	5	63	3	86	5	92	2	16
मणिपुर	9	6	9	2	7	1	9	3	0	11	0	8	0	3
मेघालय	145	2	1	11	2	4	1	0	0	0	4	0	2	2
मिजोरम	77	2	0	3	1	2	0	0	1	0	0	1	1	0
नागालैंड	39	4	4	6	1	3	3	0	0	2	1	11	2	0
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	7	10	3	6	0	9	1	7	0	2	0	16	0	6
ओडिशा	1	0	9	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0

पीएसयू	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
पुडुचेरी	2	0	10	8	0	2	0	6	0	2	0	0	0	0
पंजाब	2	0	204	260	1	103	1	63	3	25	2	65	5	35
राजस्थान	13	9	27	0	749	271	42	421	60	209	31	64	0	0
सिक्किम	5	1	0	0	0	0	6	0	0	1	1	1	2	2
तमिलनाडु	326	789	27	84	12	81	524	146	22	51	86	40	9	17
तेलंगाना	38	1	4	0	2	1	142	246	826	52	2	56	1	18
त्रिपुरा	88	2	1	0	36	0	2	0	2	1	3	2	1	0
उत्तर प्रदेश	427	912	631	236	3	80	3	267	12	579	1810	579	62	236
उत्तराखंड	97	48	6	1	0	14	0	20	0	25	1	48	1	27
पश्चिम बंगाल	5	0	20	0	0	3	0	0	2	0	0	5	0	7

***** आंकड़े दिनांक 25.11.2024 की स्थिति के अनुसार

अनुलग्नक-II

योजना के अंतर्गत पैनल से हटाए गए सार्वजनिक और निजी अस्पतालों की संख्या का राज्य/संघ राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा

	2018-2019		2019-2020		2020-2021		2021-2022		2022-2023		2023-2024		2024-2025*	
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सार्वजनिक	निजी	सार्वजनिक	निजी	सार्वजनिक	निजी	सार्वजनिक	निजी	सार्वजनिक	निजी	सार्वजनिक	निजी	सार्वजनिक	निजी
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
आंध्र प्रदेश	0	0	0	9	0	0	0	148	0	88	0	1	0	0
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
असम	0	0	0	1	0	0	0	2	0	5	0	0	0	0
बिहार	0	17	0	34	0	5	0	1	0	1	0	0	0	0
चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
छतीसगढ़	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	9
दादरा और नागर हवेली और दमन और द्वीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
गुजरात	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
हरियाणा	0	0	0	0	0	4	0	1	0	10	4	9	1	6
हिमाचल प्रदेश	0	0	11	0	1	4	1	4	0	3	3	3	0	0
जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
झारखंड	0	20	0	3	0	16	0	0	0	40	0	81	0	24
कर्नाटक	0	0	0	1	0	8	0	11	0	129	0	27	0	0
केरल	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	0	1	0	1
लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	3	0	10	0	87	0	53	0	286
महाराष्ट्र	0	70	0	43	0	12	0	109	71	122	21	31	0	0
मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	1	1	0
मिज़ोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0
पुद्दुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
पुंजाब	0	0	0	0	0	15	0	4	0	3	0	0	0	0

राजस्थान	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8	0	2	0	0
सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
तमिलनाडु	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	9	0	1
तेलंगाना	0	0	0	0	0	0	0	6	0	2	0	0	0	1
त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	0	3	0	3	1	74	0	45	0	40	2	204	0	47
उत्तराखंड	0	0	0	19	0	1	0	32	0	32	0	1	0	0

***** आंकड़े दिनांक 25.11.2024 की स्थिति के अनुसार

******